

English	Hindi
Summary of key changes to restrictions	प्रतिबंधों में प्रमुख परिवर्तनों का सारांश
Stage 3, Step 3.1 of Canberra's Recovery Plan includes minor and cautious changes to COVID-19 restrictions in the ACT for some sectors that have been closed since March.	ACT में मार्च से बंद किए गए कुछ क्षेत्रों के लिए कैनबरा की पुनःआरंभ योजना के चरण 3, उपचरण 3.1 में COVID-19 से संबंधित प्रतिबंधों में मामूली और सावधानीपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं।
The following changes apply from 11:59pm, Tuesday 1 September 2020 :	मंगलवार 1 सितंबर 2020 को रात 11:59बजे से निम्नलिखित परिवर्तन लागू होंगे:
<ul style="list-style-type: none"> • Venues, facilities and businesses can continue to have up to 100 patrons in each indoor space and each outdoor space, or one person per 4 square metres per usable space, whichever is lesser. • Community sporting activities (other than for classes and training) can have a maximum of 100 spectators for each indoor and each outdoor space, where the one person per 4 square metres of usable space can be observed. This excludes staff and participants. This includes community sporting activities taking place at a swimming pool, such as competitive races or water polo matches. 	<ul style="list-style-type: none"> • स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों के प्रत्येक इनडोर स्थल और प्रत्येक आउटडोर स्थल में अधिकतम 100 सेवार्थियों, या उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक 4 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में एक व्यक्ति की उपस्थिति जारी रखी जा सकती है, इनमें से जो भी कम हो। • सामुदायिक खेल गतिविधियों (कक्षाओं और प्रशिक्षण के अलावा) में प्रत्येक इनडोर और प्रत्येक आउटडोर स्थल में अधिकतम 100 दर्शक उपस्थित हो सकते हैं, यदि उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक 4 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में एक व्यक्ति के नियम का पालन किया जा सके। इस सीमा में कर्मचारी और प्रतिभागी शामिल नहीं हैं। इसमें दौड़ प्रतिस्पर्धाओं या वॉटर पोलो मैच जैसी स्विमिंग पूल में आयोजित की जाने वाली सामुदायिक खेल गतिविधियाँ शामिल हैं।

<p>In addition, the following will apply:</p>	<p>इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नियम भी लागू होंगे:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Usable space is defined in the Public Health Direction as the space that people can freely move around in, but not including the following areas: 	<ul style="list-style-type: none"> • जनस्वास्थ्य दिशानिर्देशों [Public Health Directions] में उपयोग किए जाने वाले स्थान की परिभाषा ऐसे स्थान के रूप में की जाती है, जहाँ लोग स्वतंत्र रूप से चल-फिर सकते हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल नहीं हैं:
<ul style="list-style-type: none"> • stages and similar areas, • restrooms, changerooms and similar areas, • areas occupied by fixtures, fittings, and displays, and • staff only areas and areas that are closed off or not being used. 	<ul style="list-style-type: none"> • मंच और इसके जैसे स्थान, • शौचालय, कपड़े बदलने के कमरे और इनके जैसे स्थान, • ऐसे स्थान, जहाँ जुड़नार, फिटिंग और प्रदर्शन की वस्तुएँ उपस्थित हैं, और • केवल कर्मिगण के प्रवेश की अनुमति वाले स्थान तथा उपयोग के लिए निषेध किए गए या उपयोग न किए जाने वाले स्थान।
<ul style="list-style-type: none"> • All venues, facilities and businesses must continue to clearly display occupancy allowance at entrance to each venue or space. • Bar, pubs and clubs are able to continue to serve alcohol to seated patrons, with no limit on the size of group bookings. • When gyms, health clubs and fitness facilities are unstaffed, a maximum of 25 patrons continue to be permitted to be in the venue at any one time. • Food courts (dine-in) remain open. • Casinos and gaming in clubs remain open. • Steam-based services including saunas, steam rooms, steam cabinets and bathhouses remain open. • Strip clubs, brothels, escort agencies remain open. 	<ul style="list-style-type: none"> • सभी स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों को प्रत्येक स्थल या स्थान के प्रवेशद्वार पर उपस्थित लोगों की अधिकतम अनुमत संख्या को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना जारी रखना होगा। • बार, पब और क्लबों में बैठे हुए सेवारथियों को एल्कोहल परोसा जा सकता है, और सामूहिक बुकिंग में अधिकतम लोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। • यदि जिम, स्वास्थ्य क्लब और फिटनेस सुविधाओं में कर्मी उपस्थित न हों, तो एक समय में अधिकतम 25 सेवारथियों को स्थल पर उपस्थित रहने की अनुमति अभी भी जारी है। • फूड कोर्ट (बैठकर भोजन करना) खुले हैं। • कैसिनो और क्लबों में गेमिंग खुली है। • सौना, स्टीम रूम, स्टीम कैबिनेट और बाथहाउस सहित अन्य वाष्प-आधारित सेवाएँ खुली हैं। • स्ट्रिप क्लब, वैश्यालय, एस्कॉर्ट एजेंसियाँ खुली हैं।

What stays the same	किन गतिविधियों में परिवर्तन नहीं हुआ है
All requirements under Step 2.2 remain in place, in particular:	उपकरण 2.2 के तहत सभी आवश्यकताएँ अभी भी लागू हैं, विशेषकर:
<ul style="list-style-type: none"> No limit on household visits. Venues, facilities and businesses must develop and follow a COVID Safety Plan. The limit on the number of people allowed at outdoor gatherings remains at 100 people. 	<ul style="list-style-type: none"> घर पर मिलने के लिए आने वाले लोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं। स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों को COVID सुरक्षा योजना का विकास और अनुपालन करना चाहिए। आउटडोर जनसमूहों में लोगों की अनुमत संख्या अभी भी अधिकतम 100 है।
We all need to continue to be responsible	हम सभी को जिम्मेदारी बनाए रखने की आवश्यकता है
The requirements under the Public Health Directions are not just the responsibility of businesses - they extend to all Canberrans.	जनस्वास्थ्य दिशा-निर्देशों [Public Health Directions] के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन करना केवल व्यवसायों की ही जिम्मेदारी नहीं है - ये आवश्यकताएँ सभी Canberrans के लिए भी लागू होती हैं।
We must all be sensible when having people in our homes and put in place our own control measures. This includes knowing who is there and at what times, and downloading the COVIDSafe app.	जब दूसरे लोग हमारे घर पर आँ, तो हम सभी को समझदारी से काम लेना चाहिए और स्वयं अपने नियंत्रण उपाय बनाकर रखने चाहिए। इसमें इस बात से अवगत होना कि वहाँ कौन आया है और वह किस समय उपस्थित रहा है, तथा COVIDSafe ऐप डाउनलोड करना भी शामिल है।
Importantly, we must maintain our best lines of defence against the disease by physically distancing, practising good hand and respiratory hygiene, staying home if unwell and getting tested if you have symptoms.	महत्वपूर्ण रूप से हमें शारीरिक दूरी बनाए रख करके, अच्छी हस्त और श्वसन स्वच्छता का पालन करके, अस्वस्थ होने पर घर में ही रह करके और लक्षणों के पैदा होने पर अपनी जाँच करवा के रोग से बचाव की अपनी सर्वोत्तम सुरक्षा-पंक्तियों को बनाए रखना चाहिए।
These principles have not changed and are the best way to keep our community safe and to prevent the spread of COVID-19.	इन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने एवं COVID-19 के फैलाव की रोकथाम करने के लिए ये सबसे अच्छे तरीके हैं।